



**M.P. POWER TRANSMISSION CO. LTD. JABALPUR.**  
**OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (T&C)**  
**( Regd. Office : Block No. 2, Shakti Bhawan, Jabalpur**

CE (Tr.-EZ)  
R No. 4412  
Date: 30/3/19  
Works/Pur.  
Estt./Steno  
Cashier

क्रमांक 04-04/तृतीय उवेमा- 1375

जबलपुर, दिनांक

29-07-2019

**आदेश**

म०प्र०पॉ०ट्रा०कं०लि० के आदेश क्रमांक AS/MPPTCL/II/3721-22 दि. 30-12-2015 के द्वारा तृतीय विकल्प समयमान वेतनमान ( Third Time Scale Pay Higher Pay Scale on completion of 30 years service) का लाभ म०प्र०पॉ०ट्रा०कं०लि० के कार्मिकों हेतु उक्त परिपत्र के साथ संलग्न Terms and conditions के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित वरिष्ठ सर्वेयर सहायक/सर्वेयर सहायक को उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये विकल्प के अनुसार 30 वर्षीय तृतीय विकल्प, नियम के अंतर्गत वरिष्ठ सर्वेयर सुपरवाइजर के पद का समयमान वेतनमान, वेतन संवर्ग ई-8, वेतन बैंड-2 में वेतनमान रु० 9300-34800/-सादृश्य ग्रेड वेतन रुपये 4400/- तथा पुनरीक्षित सातवें वेतनमान में रु० 40300-127400/- प्रतिमाह का लाभ, प्राप्त जानकारी/दस्तावेजों के आधार पर, उनके समक्ष दर्शायी गयी तिथि से इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि इस तिथि पर उनके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच लंबित नहीं थी एवं यह तिथि उनको प्रदत्त किसी भी विभागीय दण्डावधि की परिधि में नहीं आती है।

क्रमांक	कर्मचारी संख्या	कर्मचारी का नाम सर्व श्री	वर्तमान में पदस्थ	समयमान वेतन मान स्वीकृति की तिथि
<b>वरिष्ठ सर्वेयर सहायक</b>				
1	87427785	Shri Mahendra Kumar Rusia	E.E. (EHT-Constn.) Dn. Ujjain	03/07/2019
2	90418862	Shri Ramkaran Singh,	E.E. (EHT-Constn.) Dn.II Bhopal	02/07/2019
3	90419001	Shri Anusuiya Prasad Tiwari	E.E. (EHT-Constn.) Dn. ITARSI	03/07/2019
<b>सर्वेयर सहायक</b>				
4	89610165	Shri Vijay Kumar Tiwari	E.E. (EHT-Constn.) Dn.II, Jabalpur	02/07/2019
5	89323610	Shri Aditya Nath Mishra,	E.E. (EHT-Constn.) Dn.I Bhopal	02/07/2019

उक्त समयमान वेतनमान (उच्चवेतनमान) की स्वीकृति का लाभ आगामी पद पर पदोन्नति या वरिष्ठता के लिए कोई अधिकार सुनिश्चित नहीं करता है।

मुख्य अभियंता (परीक्षण एवं संचार)  
म०प्र०पॉ०ट्रा०कं०लि०, जबलपुर

कमश:-2 P.T.C.



क्रमांक 04-04/तृतीय उवेमा-  
प्रतिलिपि :-

1376

जबलपुर,दिनांक


25-07-2019

1. मुख्य अभियंता (मा.संसा.एव.प्रशा.) / (अति.उच्चदाब-निर्माण) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर ।
2. मुख्य वित्तीय अधिकारी म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि. जबलपुर ।
3. अति० मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता (अति.उच्चदाब-निर्माण) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि. जबलपुर / भोपाल / उज्जैन ।
4. कार्यपालन अभियंता (अति.उच्चदाब-निर्माण) संभाग-एक / दो म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि. भोपाल / जबलपुर / उज्जैन / इटारसी ।
5. कार्यपालन अभियंता (बेबमास्टर) कार्यालय मुख्य अभियंता (ट्रॉ.स.ई.जोन) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि. जबलपुर ।
6. वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, म०प्र०पा०ट्रॉ०क०लि० जबलपुर / भोपाल / इंदौर ।
7. क्षेत्रीय लेखाधिकारी म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर ।
8. निज सचिव कार्यालय प्रबंध निदेशक, म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर ।
9. श्री वरिष्ठ सर्वेयर सहायक, द्वारा अधीक्षण अभियंता. (अति.उच्चदाब-निर्माण) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर / भोपाल / उज्जैन ।  
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अ पदोन्नति का अवसर प्राप्त होने पर, पदोन्नति अस्वीकार करने / निर्धारित समय-सीमा में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में म०प्र०पा०ट्रॉ०क०लि० के आदेश क्रमांक 3721-22 दिनांक 30-12-2015 के प्रावधानों के अनुसार उच्च वेतनमान का लाभ वापस ले लिया जावेगा ।

ब. उक्त कर्मचारी के नियंत्रक अधिकारी से अनुरोध है कि वे आदेश अंग्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि समयमान वेतनमान की स्वीकृति की तिथि पर कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं थी एवं वे दण्डावधि में नहीं थे। इसके साथ ही उपरोक्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका से यह भी जांच कर लें कि संबंधित कर्मचारी ने 30 वर्षीय तृतीय विकल्प नियम के तहत समयमान वेतनमान स्वीकृति की तिथि में गणना योग्य वांछित 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है एवं संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यालयीन प्रक्रिया से संबंधित कोई अपराधिक प्रकरण नहीं है। तथा तृतीय विकल्प नियम के तहत समयमान वेतनमान स्वीकृति की तिथि तक उन्हें, आदेश क्रमांक 3721-22 दिनांक 30.12.2015 के प्रावधानों के अनुसार, मात्र दो ही अवसरों पर (पदोन्नति अथवा उच्चवेतनमान) वेतन उन्नयन (Fixation of pay) का लाभ प्राप्त हुआ है। यदि उपरोक्त किसी कर्मचारी को दो से अधिक अवसरों पर वेतन उन्नयन (Fixation of pay) का लाभ प्राप्त हो चुका है तब आदेश आवश्यक टीप के साथ इस कार्यालय को अविलंब लौटाना सुनिश्चित करें।

स. उक्त कर्मचारी के अन्यत्र स्थानान्तरित होने की स्थिति में इस आदेश को इस कार्यालय को वापिस न कर, कर्मचारी के वर्तमान कार्यालय को प्रेषित किया जावे।

  
अधीक्षण अभियंता

कार्या० मुख्य अभियंता (परी० एवं संचार)  
म०प्र०पा०ट्रॉ०क०लि०, जबलपुर

Webmaster,  
IT & ERP cell  
MPPTCL, Jabalpur

30  
अध्य. डा.प्र. (वेबमास्टर) मु. डा.प्र. (सं.ई.ज.)  
ग.प्र.